संख्या-176/2019/2226/22-2-2019-17(620)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द गुप्ता पुत्र श्री वासुदेव गुप्ता निवासी जिला-अयोध्या, की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द गुप्ता पुत्र श्री वासुदेव गुप्ता, जो-ग्राम हैदरगंज, थाना-कोतवाली नगर, जिला-अयोध्या (फैजाबाद) का रहने वाला है। बंदी ने मकान खाली कराने की रंजिश में दिनांक 16.09.2004 को समय लगभग सांय 5.15 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आर0टी0ओ0 आफिस से स्कूटर पर बैठकर घर वापस लौटते समय देशी तमंचे से गोली मारकर रविन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-102/**05** में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रेक-चतुर्थ फैजाबाद के आदेश दिनांक 07.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 26.06.2019 तक 14 वर्ष 09 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने अपराध में अशक्त न होने जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की है, किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने मकान खाली कराने की रंजिश में दिनांक 16.09.2004 को समय लगभग सांय 5.15 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आर0टी0ओ0 आफिस से स्कूटर पर बैठकर घर वापस लौटते समय देशी तमंचे से गोली मारकर रविन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने अपराध करने में अशक्त न होने जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी आनन्द गुप्ता पुत्र श्री वासुदेव गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आनन्द गुप्ता (बन्दी संख्या-2791/2007) पुत्र श्री वासुदेव गुप्ता, निवासी जनपद- अयोध्या (फैजाबाद) के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-176/2019/2226(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या (फैजाबाद) ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-176/2019/2226/22-2-2019-17(620)/2017

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द गुप्ता पुत्र श्री वासुदेव गुप्ता, जो-ग्राम हैदरगंज, थाना-कोतवाली नगर, जिला-अयोध्या (फैजाबाद) का रहने वाला है। बंदी ने मकान खाली कराने की रंजिश में दिनांक 16.09.2004 को समय लगभग सांय 5.15 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आर0टी0ओ0 आफिस से स्कूटर पर बैठकर घर वापस लौटते समय देशी तमंचे से गोली मारकर रविन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-102**/05** में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रेक-चतुर्थ फैजाबाद के आदेश दिनांक 07.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 26.06.2019 तक 14 वर्ष 09 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने अपराध में अशक्त न होने जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की गयी है किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने मकान खाली कराने की रंजिश में दिनांक 16.09.2004 को समय लगभग सांय 5.15 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आर0टी0ओ0 आफिस से स्कूटर पर बैठकर घर वापस लौटते समय देशी तमंचे से गोली मारकर रविन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने अपराध करने में अशक्त न होने जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बंदी द्वारा कियेगये अपराध की गम्भीरता जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोधकिये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आनन्द गुप्ता पुत्र श्री वासुदेव गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारापरोन्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in